राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान जयपुर
(जी–3, राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया, सिविल लाईन फाटक के पास, 22 गोदाम, जयपुर)
टेलीफैक्स नं. 0141–2222403, 2229314 ईमेल–कसइतरेंजींद / हउंपसण्बवउ

क्रमांक : पीएसकेएस / अभियान–21 / डीएलबी / 2022 / 6563 दिनांक : 03/08/2022

स्पष्टीकरण
(कच्ची बस्तियों के संबंध में)

"प्रशासन शहरो के संग अभियान –2021" के अन्तर्गत कच्ची बस्तियों हेतु जारी आदेश क्रमांक पीएसकेएस / अभि.–2021 / डीएलबी / 21 / 5674 दिनांक 29.06.2022 के संबंध में निम्नानुसार स्पष्टीकरण जारी किया जाता है–

क्रम संख्या	बिन्दु	स्पष्टीकरण
1.	सर्वेशुदा कच्ची बस्तियों में कब्जों के नियमन की कट ऑफ डेट 15.08.2009 से बढ़ाकर 31.12.2021 की जाती हैं।	पूर्व की सर्वेशुदा कच्ची बस्तियों में दिनांक 31.12.21 से पूर्व निवास करने वाले व्यक्तियों (पात्र कब्जाधारियों) को पट्टा दिया जा सकेगा।
2.	पट्टे हस्तानान्तरणीय होने के पूर्ववर्ती प्रावधान में प्रशासन शहरों के संग अभियान–2021 में यह प्रावधान किया है कि पट्टा जारी होने के 10 (दस) वर्ष बाद ऐसा पट्टा हस्तान्तरणीय हो सकेगा, इस 10 वर्ष की अवधि को 03 वर्ष किया जाता है।	सभी पूर्व के पट्टे, जारी होने की दिनांक से 3 वर्ष पश्चात् हस्तान्तरित किये जा सकेगे।
3.	110 वर्गगज से 200 वर्गगज तक में अतिरिक्त कब्जेशुदा भाग के क्षेत्र की आरक्षित दर अथवा डी.एल.सी. दर, जो भी कम हो, की 10 प्रतिशत की दर पर उक्त अतिरिक्त भाग के पट्टे दिये जावेगें।	110 तक के पट्टो के अलावा 90 वर्गगज अतिरिक्त भूमि (कुल 200 वर्गगज तक) के कब्जा क्षेत्र का आरक्षित दर/डी.एल.सी. दर का 10 प्रतिशत, जो भी कम हो, लेकर पूर्व पट्टे को सर्मपण कराकर अतिरिक्त क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए 200 वर्गगज तक का नया पट्टा दिया जा सकेगा।

(डॉ जोगाराम)
शासन सचिव
स्वायत्त शासन विभाग

(कुंजीलाल मीणा)
प्रमुख शासन सचिव
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक : पीएसकेएस / अभियान–21 / डीएलबी / 2022 / 6564-7061 दिनांक : 03/08/2022
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सहायक, सलाहकार, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नविवि, आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत शासन विभाग, जयपुर।
5. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
6. आयुक्त, जयपुर / जोधपुर / अजमेर विकास प्राधिकरण।

7. समस्त उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान।
8. समस्त आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम/परिषद्/पालिका, राजस्थान।
9. समस्त महापौर/सभापति/अध्यक्ष, नगर निगम/परिषद्/पालिका, राजस्थान।
10. समस्त सचिव, नगरीय विकास न्यास, राजस्थान।
11. संयुक्त निदेशक, आई.टी. अनुभाग निदेशालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
12. सुरक्षित पत्रावली।

निदेशक एवं संयुक्त सचिव
स्वायत्त शासन विभाग

टेलीफैक्स नं. 0141-2
क्रमांक : पीएसकोएस